## राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

## 57वीं बैठक दिनांक 12 मई, 2016 की कार्य सूची (एजेण्डा)

1. 56 वीं बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2016 से संबंधित कार्य बिंदुओं की पुष्टि ।

2. वन एवं ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02 मई, 2016 से संबंधित कार्य बिंदुओं पर चर्चा ।

3. समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02 मई, 2016 से संबंधित कार्य बिंदुओं पर चर्चा ।

4. वित्तीय समावेशन हेतु गठित उप-समिति की बैठक दिनांक 05 मई, 2016 से संबंधित कार्य बिंदुओं पर चर्चा ।

6. राज्य में बैंकिंग प्रगति से संबंधित कार्य बिंदुओं पर चर्चा ।

7. पुलिस स्टेशन में बैंकों की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई ।

8. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वूपर्ण विषय पर चर्चा।

# राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
# 57वीं बैठक दिनांक 12 मई, 2016 की कार्य सूची

## एजेण्डा संख्या - 1

## 56वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि

एस.एल.बी.सी. की **56वीं** बैठक दिनांक **24 फरवरी, 2016** के कार्य बिंदुओं पर बैंकों द्वारा की गयी कार्रवाई से एस.एल.बी.सी. को अवगत करा दिया गया है, जिसका पूर्ण विवरण 57वीं बैठक की पुस्तिका में संलग्न है। अत: सदन से इस संबंध में पुष्टि अपेक्षित है।

## एजेण्डा संख्या - 2

## वन एवं ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक

एस.एल.बी.सी. की 4 स्थायी समितियाँ बनायी गयी हैं जो संबंधित विषयों पर बैठक करके समस्याओं का समाधान करती हैं। इस संदर्भ में वन एवं ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02 मई, 2016 को प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास), उत्तराखंड शासन महोदया की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

उक्त बैठक में लिए गए निर्णय संबंधित एजेण्डे में समाहित किए गए हैं, जिनकी बिंदुवार पुष्टि के लिए सदन से अनुरोध करते हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

**क) बैंक द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार का सृजन**

बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार अंकित करने हेतु "सॉफ्टवेयर" को सभी बैंकों के उपयोग हेतु अधिसूचना जारी करने हेतु बैठक में चर्चा की गयी तथा यह निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा वांछित अधिसूचना निर्गत करने की प्रक्रिया पूर्णत: प्रगति में है तथा माह मई, 2016 में जारी कर दी जाएगी, जिससे प्रत्येक बैंक स्वयं भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार अंकित कर सकेंगे। इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए उत्तराखंड शासन का धन्यवाद करते हैं।

**ख) वसूली प्रमाण पत्र का ऑन-लाइन फाइलिंग**

संबंधित बैठक में अध्यक्ष महोदया से अनुरोध किया गया कि बैंकों द्वारा वसूली प्रमाण पत्र को **राजस्व विभाग** के **वेबपोर्टल** पर **" ऑन-लाइन फाइलिंग "** करने की सुविधा प्रदान करें। इस संबंध में अवगत कराया गया कि यह प्रक्रिया एन.आई.सी. एवं राजस्व विभाग, उत्तराखंड शासन स्तर पर प्रगति में है तथा दिनांक 30 जून, 2016 तक लागू हो जाने की पूर्ण संभावना है।

**ग) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन - " विवरणी SLBC - 19 "**

भारत सरकार की **" नेशनल रुरल लाइवलीहुड मिशन " ( NRLM )** योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु राज्य में **925 एस.एच.जी**. लक्ष्यों के सापेक्ष में बैंकों द्वारा 1054 समूहों / व्यक्तिगत का बैंक लिंकेज किया गया है ।

**(31.03.2016 तक)**

| **समूह** | | | **व्यक्तिगत** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **लक्ष्य** | **आवेदन प्राप्त** | **आवेदन स्वीकृत** | **लक्ष्य** | **आवेदन प्राप्त** | **आवेदन स्वीकृत** |
| **650** | **958** | **790** | **275** | **363** | **264** |

**NRLM** के अंतर्गत महिला एस.एच.जी. को बैंकों द्वारा रू. 3.00 लाख तक की ऋण राशि पर **7 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं लिया जाएगा** और संबंधित बैंक **Interest Subvention** की क्लेम राशि ऑन-लाइन प्राप्त करेंगे।

प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास), उत्तराखंड शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त योजना में एकल या व्यक्तिगत ऋण नहीं दिए जाने चाहिएं, बल्कि समूहों को ही ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जाए। अत: सभी बैंक केवल समूहों का ही वित्तपोषण करें। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष के बकाया ऋण आवेदन पत्रों पर वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में ऋण स्वीकृत कर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

**घ) एस.एच.जी. - स्टॉम्प शुल्क में छूट :**

संबंधित बैठक में अध्यक्ष महोदया से बैंकों द्वारा अनुरोध किया गया कि ₹ **5 लाख** तक के वित्तपोषित एस.एच.जी. को कृषि ऋणों की भाँति **"स्टॉम्प शुल्क"** से विमुक्त रखने की अधिसूचना जारी की जाए, जिसके लिए अध्यक्ष महोदया द्वारा संबंधित विभाग को वांछित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। इस संबंध में विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रक्रिया प्रगति में है।

**च) एन.पी.ए. - एस.एच.जी. :**

राज्य में बैंकों द्वारा वित्तपोषित **2680** स्वयं सहायता समूह के विरूद्ध ₹ **16.72** करोड़ के एन.पी.ए. विभिन्न बैंकों में हैं। राज्य सरकार से अनुरोध है कि एस.एच.जी. के एन.पी.ए. को कम करने हेतु व्यवस्था करें, ताकि वे पुन: सक्रिय हो सकें। इस संबंध में अध्यक्ष महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि सक्रिय होने वाले समूहों हेतु योजना का अनुमोदन किया जा चुका है, जिसका विस्तृत विवरण सभी बैंकों को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

**छ) ग्राम स्तरीय कार्यक्रम (नाबार्ड) :**

ग्रामीण विकास मंत्रालय व भारत सरकार एवं नाबार्ड के निर्देशानुसार राज्य में सभी बैंकों की ग्रामीण / अर्ध शहरी शाखाएं **01 से 20 मार्च, 2016** के बीच **कम से कम 4 ग्राम स्तरीय जागरुकता एवं एस.एच.जी. लिंकेज कार्यक्रमों** का आयोजन किया जाना था। इसी क्रम में बैंकों ने **4984** एस.एच.जी. कैम्प आयोजित कर **1641** समूहों का बैंक लिंकेज किया गया, जिसमें विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता प्रदान की गयी। इस संबंध में सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि प्रति कैम्प दावा राशि नाबार्ड से अवश्य प्राप्त कर लें।

**ज) ₹ 5 लाख तक के बैंक कृषि ऋणों पर स्टाम्प शुल्क पर छूट :**

राज्य में कृषि क्षेत्र के ₹ 5 लाख तक के बैंक ऋणों पर स्टॉम्प शुल्क पर छूट प्रदान करने से संबंधित शासकीय अधिसूचना की अवधि 31.03.2016 को समाप्त हो गई है। उत्तराखंड शासन से अनुरोध है कि आगामी पाँच वर्षों के लिए ₹ 5 लाख तक के बैंक कृषि ऋण पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किए जाने की अधिसूचना जारी करवाने की व्यवस्था करें ताकि कृषि ऋणों को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ राज्य के कृषक भी लाभन्वित हो सकें। इस संबंध में अध्यक्ष महोदया ने निर्णय दिया कि उक्त अधिसूचना नियमानुसार माह मई, 2016 में निर्गत कर दी जाएगी।

**झ) फसल बीमा योजना :**

भारत सरकार द्वारा "**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना"** को खरीफ 2016 की संसूचित फसलों हेतु दिनांक 18.02.2016 में माननीयम प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित की गयी है और रिस्ट्रक्चर्ड मौसम आधारित फसल बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन होना है, जिसके अंतर्गत सभी पात्र कृषकों के फसलों को अनिवार्य रूप से बीमित किया जाना निहित है। राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2016 से संबंधित अधिसूचना जारी की जा चुकी है, अत: सभी बैंक इस दिशानिर्देश का अनुपालन करें।

# एजेण्डा संख्या - 3
## समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक

इस संदर्भ में समाज कल्याण  बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02 मई, 2016 को सचिव (समाज कल्याण), उत्तराखंड शासन महोदया की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

उक्त बैठक  में लिए गए निर्णय संबंधित एजेण्डे में समाहित किए गए हैं, जिनकी बिंदुवार पुष्टि के लिए सदन से अनुरोध करते हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

**क) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन : " विवरणी SLBC - 17 "**

एन.यू.एल.एम. के अंतर्गत माह मार्च, 2016 तक समस्त बैंकों द्वारा की गयी प्रगति :-

| **एस.एच.जी. बैंक लिंकेज हेतु वार्षिक लक्ष्य (वर्ष 2015-16)** | | **प्रेषित आवेदनों की संख्या** | **स्वीकृत आवेदनों की संख्या** | **वितरित आवेदन की संख्या** | **लम्बित आवेदन की संख्या** | **निरस्त आवेदन की संख्या** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **एसएचजी** | **व्यक्तिगत** | | | | | |
| **100** | **1000** | **1623** | **647** | **615** | **458** | **518** |

अध्यक्ष महोदया द्वारा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष के बकाया ऋण आवेदन पत्रों पर वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में ऋण स्वीकृत कर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

**ख) स्पेशल कम्पोनेंट प्लान -**

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अंतर्गत **माह मार्च, 2016 तक** समस्त बैंकों द्वारा की गयी प्रगति :-

**i) अनुसूचित जाति : " विवरणी SLBC - 15 A "**

| **वार्षिक लक्ष्य** | **प्राप्त आवेदन** | **स्वीकृत आवेदन** | **वितरित आवेदन** | **बैंक ऋण राशि (₹ लाखों में)** |
|---|---|---|---|---|
| **1588** | **2167** | **1785** | **1729** | **698.56** |

ii) **अनुसूचित जन-जाति :" विवरणी SLBC - 15 B "**

| वार्षिक लक्ष्य | प्राप्त आवेदन | आवेदन स्वीकृत | वितरित आवेदन | बैंक ऋण राशि (₹ लाखों में) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 123 | 109 | 106 | 171.83 |

**iii) अल्पसंख्यक समुदाय :" विवरणी SLBC - 15 C "**

| वार्षिक लक्ष्य | प्राप्त आवेदन | स्वीकृत आवेदन | वितरित आवेदन | बैंक ऋण राशि (₹ लाखों में) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 25 | 25 | 25 | 85.85 |

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिला नैनीताल, उधम सिंह नगर एवं हरिद्वार में जो आवेदन पत्र नॉन-वायबल होने के कारण से विभाग को वापस किए गए हैं उनका पूर्ण विवरण अंकित किया जाए तथा इस संबंध में संबंधित जिले के अग्रणी जिला प्रबंधक पूर्ण जाँच करके विवरण उपलब्ध कराएं।

**अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना :**

अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण हेतु विभाग द्वारा नई योजना लागू की गयी है, जिसमें 60 % ऋण बैंकों द्वारा दिया जाएगा। कृपया उक्त योजना में प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों पर शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई की जाए। सचिव महोदया से अनुरोध है कि उक्त योजना पर प्रकाश डालने की कृपा करें।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तिमाही में क्रमश: 33%, 33% एवं 34% के अनुपात में प्रेषित किए जाएंगे।

# एजेण्डा संख्या - 4

## वित्तीय समावेशन हेतु उप-समिति

इस संदर्भ में वित्तीय समावेशन हेतु उप-समिति की बैठक दिनांक 05 मई, 2016 को सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

उक्त बैठक में लिए गए निर्णय संबंधित एजेण्डे में समाहित किए गए हैं, जिनकी बिंदुवार पुष्टि के लिए सदन से अनुरोध करते हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

### क) वित्तीय समावेशन - प्रधानमंत्री जन-धन योजना

इस योजना के अंतर्गत अद्यतन प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की प्रगति निम्न प्रकार है :

i) बैंक खाते खोले गए कुल परिवार की संख्या **- 20,56,975**

ii) रु-पे डेबिट कार्ड जारी किए गए खातों की संख्या - **17,13,974**

iii) खाताधारकों को उपलब्ध कराए गए पिन संख्या (PIN) - **10,82,315**

iv) आधार सिंडिंग खातों की संख्या - **12,81,570**

v) मोबाइल सिंडिंग खातों की संख्या - **7,12,706**

इस संबंध में समिति ने अध्यक्ष महोदय के सुझाव पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्णय लिया तथा समाचार पत्रों में बैंकों की प्रगति हेतु जनसाधारण से विशेष अनुरोध / आग्रह करने का निर्देश दिया।

### ख) वित्तीय समावेशन - ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी

बी.एस.एन.एल. ने सूचित किया है कि राज्य के **1397** एस.एस.ए. / क्लस्टर जहाँ ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं थी, उनमें से **216** स्थानों पर कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकती है (**40 एस.एस.ए.** में ब्रौड बैण्ड तथा **176 क्लस्टर** पर व़ाई.-मैक्स कनेक्टिविटी)। इसलिए संबंधित बैंक उन स्थानों में ऑन-लाइन बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु अपनी आवश्यकतानुसार ब्रॉड बैण्ड / वाई.-मैक्स कनेक्टिविटी प्राप्त करने हेतु बी.एस.एन.एल. से आवेदन कर सकते हैं।

बी.एस.एन.एल. से आग्रह है कि **शेष 1181 एस.एस.ए. / क्लस्टर** में भी कम से कम **128 kbps** गतियुक्त ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी पहुँचाने की समुचित व्यवस्था करें, ताकि बैंकों द्वारा वहाँ ऑन-लाइन बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें। संबंधित बैंक कनेक्टिविटी ऱहित एस.एस.ए. को चिन्हित कर, वहाँ ऑन-लाइन बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु **"सोलर वी. सैट"** स्थापित करने के लिए नाबार्ड को अपना प्रस्ताव प्रेषित करें और साथ ही इन स्थानों पर बैंक मित्र / बी.सी. नियुक्त करना सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय दिया गया कि प्रत्येक जिले में एस.डी.एम. महोदय की अध्यक्षता में समिति ब्लाक में जाँच करके रिपोर्ट दे कि प्रत्येक क्लस्टर / एस.एस.ए. में कनेक्टिविटी का क्या माध्यम अपनाया जाए जिससे बैंकिंग सुविधाएं सुचारू रूप से क्रियान्वित हो सकें। इस संबंध में बैंक मित्र / ग्राम प्रधान / डाक घर तथा बी.एस.एन.एल. प्रतिनिधि के सुझाव प्राप्त करके कार्य निष्पादित किया जाए।

**ग) वित्तीय साक्षरता :**

राज्य में कुल 13 एफ.एल.सी. कार्यरत हैं जिनके माध्यम से सभी वाणिज्यिक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी ग्रामीण शाखाओं में कम से कम एक वित्तीय साक्षरता शिविर गाँव में अवश्य लगाएं, ताकि वित्तीय सुविधाओं से वंचित लोगों को भी जागरुक किया जा सके।

(अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 तक)

| लगाये गये कैम्प की संख्या | प्रतिभागियों की कुल संख्या | बैंक खाताधारक प्रतिभागियों की संख्या | प्रतिभागियों के नये बैंक खाता खोले गये |
|---|---|---|---|
| **7,350** | **1,00,195** | **66,150** | **20,499** |

इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य में विशेष अभियान के तहत बैंक स्वयं या एन.जी.ओ. के माध्यम से आर.बी.आई. / नाबार्ड के निर्देशानुसार विद्यालय / पंचायत घर / स्थानीय मेले / स्थानीय पैठ बाजार में व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा नाबार्ड से एफ.आई.एफ. का उपयोग करें।

**घ) सामाजिक सुरक्षा योजना :**

प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत सुरक्षा, जीवन ज्योति बीमा एवं अटल पेंशन योजनाओं के तहत अद्यतन विवरण निम्नवत् है :

| योजना | पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|
| प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना | **14,26,720** |
| प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना | **3,91,742** |
| अटल पेंशन योजना | **11,029** |

अटल पेंशन योजना में हो रही धीमी प्रगति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से अनुरोध है कि शासन स्तर पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कर जनसाधारण को इस योजना से जुड़ने हेतु प्रेरित किया जाए। इस संबंध में बैंकों से अनुरोध है कि मिशन मोड व कैम्प मोड को अपना कर अटल पेंशन योजना में अधिक से अधिक लाभार्थियों को पंजीकृत कराएं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी जिलों में जिलाधिकारी महोदय उपरोक्त योजनाओं की प्रगति के लिए विशेष अभियान चलाएं जिसमें बैंकों से सहयोग प्राप्त करें तथा अग्रणी जिला प्रबंधक जिले की समस्त बैंक शाखाओं में प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

## एजेण्डा संख्या - 5

## अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति

इस संदर्भ में अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09 मई, 2016 को मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

उक्त बैठक में लिए गए निर्णय संबंधित एजेण्डे में समाहित किए गए हैं, जिनकी बिंदुवार पुष्टि के लिए सदन से अनुरोध करते हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

**क) एम.एस.एम.ई. ऋण - " विवरणी SLBC - 33 "**

सभी बैंकों द्वारा राज्य में एम.एस.एम.ई. की निम्न इकाईयों के अंतर्गत माह मार्च, 2016 तक कुल ₹ **17,829 करोड़** के ऋण वितरित किए गए हैं। (₹ करोड़ में )

| **सूक्ष्म इकाइयों की धनराशि** | | **लघु इकाइयों की धनराशि** | | **मध्यम इकाइयों की धनराशि** | | **क्षेत्रवार ऋण राशि** | | **कुल योग** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विनिर्माण क्षेत्र | सेवा क्षेत्र | विनिर्माण क्षेत्र | सेवा क्षेत्र | विनिर्माण क्षेत्र | सेवा क्षेत्र | विनिर्माण क्षेत्र | सेवा क्षेत्र | एम.एस.एम.ई. |
| **2142** | **2717** | **3164** | **4382** | **4028** | **1396** | **9334** | **8495** | **17829** |

**ख) प्रधानमंत्री मुद्रा** (MUDRA) **योजना" विवरणी SLBC - 33 Aa - c "**

इस योजना के तहत तीन श्रेणियों - **शिशु, किशोर एवं तरूण** के अंतर्गत जनवरी, 2016 तक बैंकों द्वारा निम्नवत् ऋण वितरित किए जा चुके हैं :

(₹ करोड़ में )

| **योजना** | **ऋण राशि सीमा** | **निर्धारित लक्ष्य राशि** | **वितरित ऋण राशि** |
|---|---|---|---|
| शिशु | **₹** 50000 तक के ऋण (ओवरड्राफ्ट राशि सम्मिलित) | 376.93 | 228.07 |
| किशोर | **₹** 50,001 से **₹** 5 लाख तक | 831.34 | 724.42 |
| तरूण | **₹** 5 लाख से **₹** 10 लाख तक | 520.12 | 433.92 |
| **कुल संख्या एवं ऋण राशि** | | **1728.39** | **1386.41** |

**ग) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम - " विवरणी SLBC - 6 "**

(01.04.2015 से 31.03.2016 तक) **(₹ लाखों में)**

| **विभाग** | **वार्षिक लक्ष्य (वर्ष 2015-16)** | **आवेदन प्राप्त** | **आवेदन स्वीकृत** | **आवेदन वितरित** | **वितरित ऋण राशि** |
|---|---|---|---|---|---|
| डी0आई0सी0 | 414 | 711 | 545 | 499 | 1289.32 |
| के0वी0आई0सी0 | 311 | 521 | 423 | 345 | 1108.65 |
| के0वी0आई0बी0 | 311 | 222 | 166 | 173 | 525.88 |
| **कुल योग** | **1036** | **1454** | **1134** | **1017** | **2923.85** |

पी.एम.ई.जी.पी. की **वेबपोर्टल** जिस पर आवेदन पत्रों की **ई-ट्रेकिंग की सुविधा ऑन लाइन** उपलब्ध है, उस पर बैंकों द्वारा निस्तारित किए गए आवेदन पत्रों का विवरण विलम्ब से अंकित किए जाने के कारण विभाग एवं बैंकों के ऑँकड़ों में विसंगति पाई गई है। अत: विभाग से अनुरोध है कि इस संबंध में बैंकों से समन्वय स्थापित करें।

**घ) वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना - " विवरणी SLBC - 8 "**

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रगति निम्नवत् है :

(01.04.2015 से 31.03.2016 तक) **(₹ लाखों में)**

| **मद - लक्ष्य** | **आवेदन प्राप्त** | **आवेदन स्वीकृत** | **आवेदन वितरित** | **वितरित की गयी ऋण राशि** |
|---|---|---|---|---|
| वाहन - 250 | 315 | 240 | 237 | 1276.04 |
| गैर-वाहन - 250 | 310 | 213 | 149 | 1627.68 |
| **कुल योग - 500** | **625** | **453** | **386** | **2903.72** |

पर्यटन विभाग ने **"उत्तराखंड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना"** को लागू किया है जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को पर्यटन क्षेत्र से जोड़कर लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

**ङ) आरसेटी**

**उत्तराखंड ग्रामीण बैंक** के अनुरोध पर **आरसेटी संस्थान, पिथौरागढ़** के परिचालन का कार्य **भारतीय स्टेट बैंक** द्वारा किए जाने पर सहमति हुई है, जिसके लिए एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड से स्वीकृति अपेक्षित है।

**आरसेटी, रूद्रप्रयाग** को प्रशासन द्वारा आवंटित भूमि नदी से मात्र 200 मीटर पर स्थित है, जिस पर एन.जी.टी. के निर्देशानुसार भवन निर्माण किया जाना प्रतिबंधित है। अत: शासन से अनुरोध है कि उपरोक्त संबंध में वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने की शीघ्र व्यवस्था की जाए।

**आरसेटी, चम्पावत** को आवंटित भूमि तक पहुँचने हेतु प्रशासन द्वारा मार्ग चिन्हित नहीं किया गया है। कृपया उचित दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

आई.एफ.ए.डी. से प्राप्त आर्थिक सहायता के अंतर्गत उपासक (यू.पी.एस.ए.सी.) संस्थान ने अपने समूहों / फेडरेशन के सदस्यों का प्रशिक्षणआरसेटी संस्थानों के माध्यम से करवाने की पहल की है।

सभी जिलों में आरेसटी के माध्यम से **33,528** लाभार्थियों, को प्रशिक्षण देने के लिए **1,198** प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । इन प्रशिक्षित लाभार्थियों में से **18,797** ने स्वरोजगार आरम्भ किया है तथा **6,447** लाभार्थियों ने बैंक ऋण प्राप्त किया है।

# एजेण्डा संख्या - 6

## राज्य में बैंकिंग प्रगति से संबंधित कार्य बिंदुओं पर चर्चा

### क) वार्षिक ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2015-16 - " विवरणी SLBC - 02 "

बैंकों की वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत **89 प्रतिशत** की उपलब्धि दर्ज हुई है। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष मार्च, 2016 तक की गई उपलब्धि निम्नवत् है :

**(₹ करोड़ों में)**

| **गतिविधि** | **वार्षिक लक्ष्य** | **उपलब्धि** | **उपलब्धि प्रतिशत** |
|---|---|---|---|
| फार्म सेक्टर | 6979 | 6075 | 87% |
| नॉन-फार्म सेक्टर | 3043 | 3133 | 103% |
| अन्य प्राथमिक क्षेत्र | 4502 | 3765 | 84% |
| **योग** | **14524** | **12973** | **89%** |

### ख) वार्षिक ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2016-17

नाबार्ड द्वारा प्रस्तुत " **FOCUS PAPER"** के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए राज्य में प्रोजेक्टिड क्रेडिट पोटेन्शियल ₹ **16,525.82 करोड़** निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार सभी जिलों हेतु वार्षिक ऋण योजना अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा तैयार की गयी है जिसका कुल योग **₹ 16,384.82** करोड़ है।

### ग) ऋण-जमा अनुपात - " विवरणी SLBC - 01 "

राज्य का ऋण-जमा अनुपात लगभग **59 %** है। राज्य में बैंकों की जमा राशियों में मार्च, 2015 के सापेक्ष मार्च, 2016 में **₹ 8803करोड़** (11 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है जब कि ऋण राशियों में **₹ 3746 करोड़** (10 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गयी है।

**निम्न बैकों** का ऋण-जमा अनुपात **40 प्रतिशत** से कम है, इसे बढ़ाने हेतु अपने बैंक की रणनीति से सदन को अवगत कराएं।

| **बैंक** | **शाखाओं की संख्या** | **मार्च, 2016** |
|---|---|---|
| सेन्ट्रल बैंक | 41 | 29 % |
| इण्डियन बैंक | 12 | 24 % |

**निम्न जिलों** का **ऋण-जमा अनुपात 30 %** तक भी नहीं पहुँचा है। अत: अग्रणी जिला प्रबंधक, जिला प्रशासन एवं सभी बैंक शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक करें और अपने जिले का ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने की दिशा में समुचित रणनीति के तहत ठोस कदम उठाना सुनिश्चित करें तथा अग्रणी जिला प्रबंधक इस संबंध में सदन को अवगत कराएं।

| **जिला** | **शाखाओं की संख्या** | **मार्च, 2016** |
|---|---|---|
| अल्मोड़ा | 144 | 23 % |
| चमोली | 92 | 27 % |
| पौड़ी | 192 | 27 % |
| रूद्रप्रयाग | 51 | 25 % |
| टिहरी | 129 | 29 % |

राज्य सरकार से अनुरोध है कि सभी संबंधित विभागों को निर्देशित करें कि वे जिले का ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने से संबंधित बैंकयोग्य योजनाएं (Bankable schemes in accordance with the specific areas) बनाकर, क्रियान्वयन हेतु संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधकों को उपलब्ध कराएं।

### घ) बैंकों के एन.पी.ए. की वसूली - " विवरणी SLBC - 35 "

राज्य के समस्त बैंकों द्वारा **₹ 49,847.94** करोड़ के ऋण **13,07,311** लाभर्थियों को दिए गए हैं जिसमें से **77,057** ऋणियों पर **₹ 1,908.34** करोड़ के ऋण बकाया हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है :

(**₹** करोड़ों में )

| **ऋण विवरण** | **चूककर्ता की संख्या** | **बकाया ऋण राशि** |
|---|---|---|
| कृषि ऋण | 37,615 | 473.57 |
| एस.एम.ई. ऋण | 25,536 | 1012.24 |
| वैयक्तिक ऋण | 13,226 | 168.95 |
| वाणिज्य एवं ससंथागत ऋण | 680 | 253.58 |
| **कुल** | **77,057** | **1908.34** |

## एजेण्डा संख्या - 7

**पुलिस स्टेशन में बैंकों की शिकायत में पर त्वरित कार्रवाई**

राज्य सरकार से अनुरोध है कि बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाओं से संबंधित शिकायतों ((**FIR)** में तत्काल कार्रवाई करवाने हेतु शासन स्तर से यथोचित निर्देश सभी पुलिस स्टेशन को जारी किए जाएं।

## एजेण्डा संख्या - 8

**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वूपर्ण विषय पर चर्चा।**

××××××××××××